२३/२५	वकील वादी उपस्थित नही। वादी स्वयं भी उपस्थित नही। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण भी पेश नही हुआ। बार-बार आवाज लगवाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण
	गई। अतः यह वाद-पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।